"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2010—आश्विन 23, शक 1932

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2010

क्रमांक ई 1-1/2010/1/2.—श्री अंकित आनंद, भा. प्र. से. (2006), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कांकेर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री एस. भारतीदासन, भा. प्र. से. (2006), आयुक्त, नगर निगम, राजनांदगांव की सेवायें नगरीय विकास विभाग से वापस लेते हुये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कांकेर के पद पर पदस्थापना हेतु सौंपी जाती है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2010

क्रमांक ई-01-01/2010/एक/2.—श्री सुबोध कुमार सिंह, भा. प्र. से. (1997) विशेष सचिव, मुख्य मंत्री, आयुक्त, गृह निर्माण मण्डल एवं संचालक, विमानन को केवल आयुक्त, गृह निर्माण मण्डल के प्रभार से मुक्त करते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2010

क्रमांक 1006/742/2010/1-8/स्था.—श्री विजय कुमार सिंह, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 6-9-2010 से 10-9-2010 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. श्री विजय कुमार सिंह के अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री बी. एल. सोनी, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग अपने कार्य के साथ-साथ संपादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री विजय कुमार सिंह को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2010

क्रमांक 1004/713/2010/1-8/स्था.—श्री सैयद कौसर अली, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 2-9-2010 से 10-9-2010 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. श्री सैयद कौसर अली के अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री बी. एल. सोनी, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग अपने कार्य के साथ-साथ संपादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री सैयद कौसर अली को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सैयद कौसर अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2010

क्रमांक 1118/757/2010/1-8/स्था.—श्री अशफाक हुसैन सिद्दीकी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह जेल विभाग को दिनांक 9-9-2010 से 14-9-2010 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अशफाक हुसैन सिद्दीकी को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह जेल विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशफाक हुसैन सिद्दीकी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2010

क्रमांक 1120/2057/2010/1-8/स्था.—श्री प्रदीप कुमार दवे, उप सचिव, कृषि विभाग को दिनांक 11-10-2010 से 15-10-2010 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप कुमार दवे को उप सचिव, कृषि विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रदीप कुमार दवे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2010

क्रमांक 1122/802/2010/1-8/स्था.—श्री अरूण कुमार चांदे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग को दिनांक 30-8-2010 से 10-9-2010 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश अवकाश स्वीकृत किया जाता हैं.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार चांदे को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार चांदे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2010

क्रमांक 1124/796/2010/1-8/स्था.—श्रीमती अमृता बेक, उप सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को दिनांक 18-10-2010 से 30-10-2010 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती अमृता बेक को उप सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अमृता बेक अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2010

क्रमांक 1126/797/2010/1-8/स्था.—श्री एल. डी. चोपड़े, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 20-9-2010 से 1-10-2010 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. श्री एल. डी. चोपड़े के अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री मुकुंद गजभिये, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग अपने कार्य के साथ-साथ संपादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री एल. डी. चोपड़े को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एल. डी. चोपड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2010

क्रमांक 1128/799/2010/1-8/स्था.—श्री विलियम कुजूर, उप सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 15-09-2010 से 30-09-2010 तक 16 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विलियम कुजूर को अवर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री विलियम कुजूर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2010

क्रमांक/एफ-10-19/25-2/10/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के सरल क्रमांक 44 में सम्मिलित "लोनिया, लुनिया, औड़, ओड़े, ओड़िया, नौनिया, मुरहा, मुराहा, मुड़हा, मुड़ाहा" के पश्चात् "नुनिया, नोनिया" को स्थापित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2010

क्रमांक 11130/2356/21-ब/छ. ग./2010.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री नीलेश कुमार सरवन, अधिवक्ता, कोण्डागांव जिला बस्तर स्थान जगदलपुर को फास्ट ट्रेक कोर्ट कोण्डागांव में शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2010

क्रमांक 11138/2359/21-ब/छ. ग./2010.—राज्य शासन, द्वारा श्री अशोक कुमार जांगड़े, नोटरी, मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ. ग.) की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप, नोटरी रजिस्टर से उनका नाम हटाया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2010

क्रमांक 11140/2357/21-ब/छ. ग./2010.—राज्य शासन, द्वारा श्री मोहम्मद अकबर कुरैशी, नोटरी कबीरधाम, जिला-कबीरधाम (छ. ग.) के द्वारा नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-10 (घ) के प्रावधानों के अनुसार रसीद बुक एवं रजिस्टर का संधारण उचित रूप से नहीं किये जाने के फलस्वरूप, धारा-4 (घ) के अंतर्गत नोटरी रजिस्टर से उनका नाम हटाया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2010

क्रमांक 11142/2358/21-ब/छ. ग./2010.—राज्य शासन, द्वारा कु. सत्यभामा सिंह, नोटरी, खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप, नोटरी रजिस्टर से उनका नाम हटाया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2010

क्रमांक 11174/2167/21-ब/छ. ग./2010.—राज्य शासन, द्वारा श्री गिरवर प्रसाद, नोटरी, जशपुर, जिला-जशपुर (छ. ग.) को नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न किये जाने के फलस्वरूप, नोटरी रजिस्टर से उनका नाम हटाया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एन. त्रिपाठी, उप-सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मर्यादित के अंतर्नियम की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन श्री सुबोध कुमार सिंह (भारतीय प्रशासनिक सेवा) को संचालक, छ. ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के पद पर तत्काल प्रभाव से नियुक्त करता है.

2. श्री जी. एस. देशपाण्डे, प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित को अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv) के अंतर्गत इस कंपनी के प्रबंध संचालक एवं संचालक के पद से पदमुक्त किया जाता है.

3. श्री सुबोध कुमार सिंह, उपरोक्त कंपनी के संचालक, को अंतर्नियम की कंडिका 78 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन आगामी आदेश तक उपरोक्त कंपनी का प्रबंध संचालक नियुक्त करता है.

4. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जावेगी.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी मर्यादित के अंतर्नियम की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन श्री एस. एन. चौहान, कार्यपालक निदेशक, (ट्रांसमिशन), छ. ग. राज्य विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी मर्यादित को संचालक छ. ग. राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित के पद पर तत्काल प्रभाव से नियुक्त करता है.

2. श्री व्ही. के. श्रीवास्तव, प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित को अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv) के अंतर्गत इस कंपनी के प्रबंध संचालक एवं संचालक के पद से पदमुक्त किया जाता है.

3. श्री एस. एन. चौहान, उपरोक्त कंपनी के संचालक, को अंतर्नियम की कंडिका 78 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन आगामी आदेश तक उपरोक्त कंपनी का प्रबंध संचालक नियुक्त करता है.

4. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जावेगी.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी मर्यादित के अंतर्नियम की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए राज्य शासन श्री जी. एस. कलसी, कार्यपालक निदेशक, (टी एण्ड डी), छ. ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित को संचालक छ. ग. राज्य विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी मर्यादित के पद पर तत्काल प्रभाव से नियुक्त करता है.

2. श्री एस. एन. चौहान, प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी मर्यादित को अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv) के अंतर्गत इस कंपनी के प्रबंध संचालक एवं संचालक के पद से पदमुक्त किया जाता है.

3. श्री जी. एस. कलसी, उपरोक्त कंपनी के संचालक, को अंतर्नियम की कंडिका 78 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन आगामी आदेश तक उपरोक्त कंपनी का प्रबंध संचालक नियुक्त करता है.

4. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जावेगी.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मर्यादित के अंतर्नियम की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन श्री जी. एस. कलसी, निदेशक, (संचालन), छ. ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित को इस कंपनी के निदेशक (संचालन) के पद से तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 1-3/2009/13/1.—राज्य शासन एतद्द्वारा मुख्य विद्युत निरीक्षकालय, छ. ग. के अंतर्गत उपसंभागीय कार्यालय रायपुर का पुनर्गठन कर धमतरी उपसंभाग खोलने की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. धमतरी उपसंभाग के गठन फलस्वरूप रायपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले उपसंभागों का कार्यक्षेत्र (सीमा) का निर्धारण निम्नानुसार होगा :—

क्र.	संभाग		उप संभाग का नाम	कार्य क्षेत्र में आने वाले जिले का नाम
1.	रायपुर	(1)	रायपुर उप संभाग क्रमांक-1	रायपुर
		(2)	रायपुर उप संभाग क्रमांक-2	रायपुर
		(3)	जगदलपुर उपसंभाग	बस्तर, दन्तेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर
		(4)	नवीन धमतरी उपसंभाग	धमतरी, महासमुन्द

3. धमतरी नवीन उपसंभागीय कार्यालय हेतु निम्नलिखित पदों का निर्माण एवं भरने की स्वीकृति प्रदान करता है:—

क्र.	पदनाम	वेतनमान+ग्रेड पे	धमतरी उपसंभाग
1.	सहायक अभियंता (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक	15600-39100+5400	01 पद
2.	उपअभियंता	9300-34800+4200	03 -,,-
3.	सहायक ग्रेड-2	5200-20200+2400	01 -,,-
4.	सहायक ग्रेड-3	5200-20200+1900	02 -,,-
5.	विद्युतकार/ट्रेसर	5200-20200+1900	01 -,,-
6.	जांच अनुचर	5200-20200+1800	01 -,,-
7.	भृत्य	4750-7440+1300	01 -,,-
8.	चौकीदार (पूर्णकालिक)	कलेक्टर दर पर	01 -,,-
9.	स्वीपर (अंशकालिक)	कलेक्टर दर पर	01 -,,-.
		योग	**12 पद**

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू. ओ. जावक क्र. 438/सी. एन.-27345/बजट-5/वित्त/चार/2010, दिनांक 14-09-2010 द्वारा दी गई सहमति अनुसार जारी की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, अवर सचिव.

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 01-34/31/स्था./2009.—छ. ग. जल संसाधन अभियांत्रिकी तथा भौमिकी सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम-1968 में कार्यपालन अभियंता (सिविल) से अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु भर्ती नियम में 05 वर्ष की अर्हकारी सेवा अवधि निर्धारित की गई है.

2. राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार जल संसाधन विभाग में कार्यपालन अभियंता (सिविल) से अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु भर्ती नियमों में निर्धारित अर्हकारी सेवा 05 वर्ष से 02 वर्ष की छूट प्रदान करते हुए, भर्ती नियम् में अर्हकारी सेवा 03 वर्ष (कलेण्डर वर्ष 01-01-2010 से 31-12-2010 तक के लिए) की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमर अली, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 10-30/2010/16.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के मियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजनाएं बनाती है :—

(1) **मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना :—**

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(i) योजना का नाम मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना, 2010 होगा.

(ii) योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य जैसे राजमिस्त्री, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेन्टर, कुली, पेन्टर आदि प्रकार के ट्रेड के श्रमिकों को कुल 10000 औजार किट प्रतिवर्ष वितरित किया जावेगा.

(iii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(i) यह योजना निर्माण श्रमिक जो प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत हो, प्रदाय किया जावेगा.

(ii) पंजीकृत श्रमिक की आयु 18 वर्ष से कम की न हो.

(iii) योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक एक ट्रेड के ही औजार की सहायता प्राप्त कर सकता है.

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

(i) आवेदक के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर.

(ii) आवेदन में पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है.

(iii) आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय में जमा किया जावे.

(द) **स्वीकृति का अधिकार :—**

(i) पात्रता की जांच उपरांत क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के उप संचालक/सहायक संचालक/सहायक श्रमायुक्त/ श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदन अनुशंसा सहित स्वीकृति हेतु मण्डल को प्रेषित किया जावेगा.

(ii) सभी आवेदनों की स्वीकृति का अधिकार छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के सचिव का होगा.

(इ) **अन्य विवरण :—**

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा.

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 10-30/2010/16.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजनाएं बनाती है :—

(1) **मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना :—**

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(i) योजना का नाम मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना, 2010 होगा.

(ii) योजना के अंतर्गत 10000 सिलाई मशीन प्रतिवर्ष प्रदेश के पंजीकृत महिला निर्माणी श्रमिकों को प्रदाय किया जावेगा.

(iii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(i) यह योजना निर्माणी महिला श्रमिक जो प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत हो, प्रदाय किया जावेगा.

(ii) पंजीकृत महिला श्रमिक की आयु 40 वर्ष से 60 वर्ष आयु समूह की हो.

(iii) मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना का लाभ न लिया हो.

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

(i) आवेदिका के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर.

(ii) आवेदन में पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है.

(iii) आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय में जमा किया जावे.

(द) **स्वीकृति का अधिकार :—**

(i) पात्रता की जांच उपरांत क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के उप संचालक/सहायक संचालक/सहायक श्रमायुक्त/ श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदन अनुशंसा सहित स्वीकृति हेतु मण्डल को प्रेषित किया जावेगा.

(ii) सभी आवेदनों की स्वीकृति का अधिकार छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के सचिव का होगा.

(ई) **अन्य विवरण :—**

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा.

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 10-30/2010/16.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजनाएं बनाती है :—

(1) **मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना :—**

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(i) योजना का नाम मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना, 2010 होगा.

(ii) योजना के अंतर्गत 10,000/- सायकल प्रतिवर्ष प्रदेश के पंजीकृत महिला निर्माणी श्रमिकों को प्रदाय किया जावेगा.

(iii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(i) यह योजना निर्माणी महिला श्रमिक जो प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत हो, को स्वयं के लिए निवास से कार्यस्थल पर जाने आने के लिए प्रदाय किया जावेगा.

(ii) पंजीकृत महिला श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष आयु समूह की हो.

(iii) मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना का लाभ न लिया हो.

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

(i) आवेदिका के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर.

(ii) आवेदन में पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है.

(iii) आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय में जमा किया जावे.

(द) **स्वीकृति का अधिकार :—**

(i) पात्रता की जांच उपरांत क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के उप संचालक/सहायक संचालक/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदन अनुशंसा सहित स्वीकृति हेतु मण्डल को प्रेषित किया जावेगा.

(ii) सभी आवेदनों की स्वीकृति का अधिकार छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के सचिव का होगा.

(ई) **अन्य विवरण :—**

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 10-15/2010/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक विवाद नियम, 1957 के नियम 25-ए के उपनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिष्ठित करते हुए, राज्य शासन एतदद्वारा श्रीमती सविता मिश्रा, प्रभारी उपश्रमायुक्त को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (क्रमांक 14 सन् 1947) की धारा 10 एवं धारा 12 की उपधारा (5) के अंतर्गत संदर्भित औद्योगिक विवादों में श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित प्रत्येक पंच निर्णय के प्राप्ति की अभिस्वीकृति प्रदान करने हेतु प्राधिकृत करता है.

No. F 10-15/2010/16.—In exercise of powers conferred by sub rule (1) of rule 25-A of the Chhattisgarh Industrial Disputes Rules, 1957 and in supersession of all previous notifications on the subject, the State Government hereby authorise Smt. Savita Mishra, Incharge Deputy Labour Commissioner to acknowledge the receipt of every arbitration award of Labour Court or Industrial Tribunal in an industrial dispute referred to it under section 10 and sub-section (5) of section 12 of the Industrial Disputes Act, 1947 (No. 14 of 1947).

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 10-15/2010/16.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (क्रमांक 14 सन् 1947) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिष्ठित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 33-सी के अधीन प्रयोज्य शक्ति, श्रीमती सविता मिश्रा, प्रभारी उप श्रमायुक्त द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिये प्रयोग में लायी जायेगी.

No. F 10-15/2010/16.—In exercise of powers conferred by Section 39 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) and in supersession of all previous notifications on the subject, the State Government hereby direct that the power under Section 33-C of the said act shall be exercisable by Smt. Savita Mishra, Incharge Deputy Labour Commissioner for whole of the Chhattisgarh State.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 10-15/2010/16.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (क्रमांक 14 सन् 1947) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिष्ठित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 12(3) के अधीन प्रयोज्य शक्ति, श्रीमती सविता मिश्रा, प्रभारी उप श्रमायुक्त द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिये प्रयोग में लायी जायेगी.

No. F 10-15/2010/16.—In exercise of powers conferred by Section 39 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) and in supersession of all previous notifications on the subject, the State Government hereby direct that the power under Section 12(3) of the said act shall be exercisable by Smt. Savita Mishra, Incharge Deputy Labour Commissioner for whole of the Chhattisgarh State.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 10-15/2010/16.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (क्रमांक 14 सन् 1947) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिष्ठित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 12(5) के अधीन प्रयोज्य शक्ति, श्रीमती सविता मिश्रा, प्रभारी उप श्रमायुक्त द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिये प्रयोग में लायी जायेगी.

No. F 10-15/2010/16.—In exercise of powers conferred by Section 39 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) and in supersession of all previous notifications on the subject, the State Government hereby direct that the power under Section 12(5) of the said act shall be exercisable by Smt. Savita Mishra, Incharge Deputy Labour Commissioner for whole of the Chhattisgarh State.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 10-15/2010/16.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (क्रमांक 14 सन् 1947) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिष्ठित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन प्रयोज्य शक्ति, श्रीमती सविता मिश्रा, प्रभारी उप श्रमायुक्त द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिये प्रयोग में लायी जायेगी.

No. F 10-15/2010/16.—In exercise of powers conferred by Section 39 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) and in supersession of all previous notifications on the subject, the State Government hereby direct that the power under Section 10 of the said act shall be exercisable by Smt. Savita Mishra, Incharge Deputy Labour Commissioner for whole of the Chhattisgarh State.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 6-231/2008/वाक (आब)/पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित आबकारी उपनिरीक्षक को सहायक जिला आबकारी अधिकारी के पद पर वेतन बैण्ड रुपये 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रुपये 4300 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुए उनके नाम के सामने कॉलम-3 में दर्शाये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम, पदनाम तथा वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री जगदीश कुमार अरोरा, कार्यालय, सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-राजनांदगांव	कार्यालय, जिला आबकारी अधिकारी, जिला-बीजापुर
2.	श्री संजय कुमार अग्रवाल, कार्यालय, सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-रायपुर	कार्यालय, जिला आबकारी अधिकारी, जिला-सरगुजा
3.	श्री सत्येन्द्र कुमार जैन, कार्यालय, सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-रायपुर	कार्यालय, सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-कोरबा
4.	श्री उमेश कुमार शुक्ला, कार्यालय, संभागीय उड़नदस्ता, जिला-बिलासपुर	कार्यालय, सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-बिलासपुर

(1)	(2)	(3)
5.	श्री बृजेन्द्र सिंह चंदेल, कार्यालय, सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-रायपुर	कार्यालय, सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-रायपुर
6.	श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, कार्यालय, सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-बिलासपुर	कार्यालय, सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-बिलासपुर
7.	श्री पीलू लाल नायक, कार्यालय, सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-जांजगीर-चांपा.	कार्यालय, सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-रायगढ़
8.	श्री देवनाथ साय, कार्यालय, सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-कोरबा	कार्यालय, जिला आबकारी अधिकारी, जिला-कबीरधाम
9.	श्री बसंत कुमार अंधारे, कार्यालय, सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-रायगढ़	कार्यालय, उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, जगदलपुर, संभाग-बस्तर.
10.	श्री कामता राम तारम, कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-राजनांदगांव.	कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला-धमतरी

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदोन्नतियों में "छ. ग. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003" तथा उक्त नियमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की स्थिति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 4-2/2001/1/3, दिनांक 11-02-2008 द्वारा जारी किए गए पूरक निर्देशों के अनुसार आरक्षण का पालन किया गया है.

उपरोक्त अधिकारियों की वरिष्ठता फीडर क्रेडर में मूल संवर्ग में वरिष्ठता क्रम अनुसार ही रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एस. गुर्जर, अवर सचिव.

गृह (जेल) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 7-3/तीन-जेल/2007.—कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का 9) की धारा 59 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ जेल नियम, 1968 में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 359 में विद्यमान प्रारंभिक वाक्य के स्थान पर, निम्नलिखित वाक्य प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"359. छत्तीसगढ़ में जेलों के लिए पांच सलाहकार बोर्ड रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अम्बिकापुर एवं दुर्ग में होंगे."

2. नियम 359 के विद्यमान खण्ड (1) से (5) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

(1) बोर्ड छ: सदस्यों से गठित होंगे, अर्थात् :—

(क) महानिदेशक/महानिरीक्षक जेल, छत्तीसगढ़-अध्यक्ष

(ख) पुलिस महनिरीक्षक-रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा एवं दुर्ग रेंज अपने-अपने बोर्ड के लिए;

(ग) रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा एवं दुर्ग जिले में स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश अपने-अपने बोर्ड के लिए;

(घ) रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा एवं दुर्ग जिले के जिला मजिस्ट्रेट अपने-अपने बोर्ड के लिए;

(ङ) रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा एवं दुर्ग जिले के जिला पुलिस अधीक्षक अपने-अपने बोर्ड के लिए;

(च) बोर्ड के अन्तर्गत आने वाले जिलों में से किसी एक जिले के, जिसमें बोर्ड का मुख्यालय स्थित है, निवासियों में से राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक बोर्ड के लिए नियुक्त किया गया एक अशासकीय सदस्य.

(2) रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अम्बिकापुर एवं दुर्ग की केन्द्रीय जेलों के अधीक्षक अपने-अपने बोर्ड के पदेन सचिव होंगे.

(3) अशासकीय सदस्य उसकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा. ऐसी नियुक्ति राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी.

(क) राज्य सरकार, यदि वह उचित समझती है, तो कोई कारण दिए बिना, किसी अशासकीय सदस्य को उसकी पदावधि समाप्त होने के पूर्व हटा सकेगी, ऐसा हटाया जाना राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा और उसकी सूचना महानिदेशक/महानिरीक्षक जेल, छत्तीसगढ़ तथा संबंधित जेल अधीक्षक को दी जाएगी.

(4) पांच बोर्ड के क्षेत्राधिकार निम्नानुसार होंगे :—

(क) सलाहकार बोर्ड, रायपुर-रायपुर जिले में स्थित सभी जेल तथा उप-जेल;

(ख) सलाहकार बोर्ड, बिलासपुर-बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा जिले में स्थित सभी जेल तथा उप-जेल;

(ग) सलाहकार बोर्ड, जगदलपुर-बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर जिले में स्थित सभी जेल तथा उप-जेल;

(घ) सलाहकार बोर्ड, अम्बिकापुर-सरगुजा, कोरिया, जशपुरनगर जिले में स्थित सभी जेल तथा उप-जेल;

(ङ) सलाहकार बोर्ड, दुर्ग-दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, महासमुन्द, धमतरी जिले में स्थित सभी जेल तथा उप-जेल;

(च) विलोपित.

No. F 7-3/Three-Jail/2007.—In exercise of the powers conferred by Section 59 of the Prisons Act, 1894 (No. IX of 1894), the State Government, hereby makes the following rules further to amend The Chhattisgarh Prisons Rules, 1968, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. For the existing opening sentence in rule 359, the following sentence shall be substituted, namely :—

"359. There shall be five Advisory Boards for the jails in Chhattisgarh at Raipur, Bilaspur, Jagdalpur, Amibkapur and Durg."

2. For the existing clauses (1) to (5) of rule 359, the following clauses shall be substituted, namely :—

(1) The Boards shall consist of six members, namely :—

(a) Director General/Inspector General of Prisons, Chhattisgarh-Chairman.

(b) Inspector Genral of Police of the ranges of Raipur, Bilaspur, Bastar, Sarguja and Durg for the respective Boards;

(c) The District and Sessions Judge stationed at Raipur, Bilaspur, Bastar, Sarguja and Durg for the respective Boards;

(d) District Magistrate of the Districts of Raipur, Bilaspur, Bastar, Sarguja and Durg for the respective Boards;

(e) Superintendent of Police of the Districts of Raipur, Bilaspur, Bastar, Sarguja and Durg for the respective Boards;

(f) One non-official member for each Board from residents of one of the districts covered by the Board located at the respective Head-Quarters appointed by the State Government.

(2) The Superintendents of the Central Jails of Raipur, Bilaspur, Jagdalpur, Ambikapur and Durg shall be Ex-officio Secretaries of the repsective Boards.

(3) A non-official member shall hold office for a term of three years from the date of his appointment. Such appointment shall be notified in the Official Gazette.

(a) The State Government may if it thinks fit without assigning any reason, remove a non-official member before the expiry of his term of office, such removal shall be notified in the official Gazette and intimation there of shall be given to the Director General/Inspector General of Prisons, Chhattisgarh and Superintendent of the Jail concerned.

(4) The Jurisdiction of the five Boards shall be as below :—

(a) Advisory Board at Raipur-All the jails and sub-jails situated in the district of Raipur;

(b) Advisory Board at Bilaspur-All the jails and sub-jails situated in the district of Bilaspur, Raigarh, Janjgir-Champa, Korba;

(c) Advisory Board at Jagdalpur-All the jails and sub-jails situated in the district of Bastar, Kanker, Dantewara, Narayanpur, Bijapur;

(d) Advisory Board at Ambikapur-All the jails and sub-jails situated in the district of Sarguja, Korea, Jashpurnagar;

(e) Advisory Board at Durg-All the jails and sub-jails situated in the district of Durg, Rajnand-gaon, Kabirdham, Mahasamund, Dhamtari;

(f) Deleted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. शुक्ल, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 7-18/32/2010.—छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) सहपठित धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है. उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप के छत्तीसगढ़ राजपत्र में इसके सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस की समाप्ति पर विचार किया जायेगा.

ऐसी कोई आपत्ति या सुझांव जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप के संबंध में कार्यालयीन समय में विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, (कक्ष क्र. 308) दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय रायपुर के कार्यालय में प्राप्त हो, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 21 के उप-नियम (3) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(ख) बहुमंजिले भवन से भिन्न भवन की अनुज्ञा के लिये :—

मद क्र.	निर्माण का प्रकार	निर्मित क्षेत्र		प्रभार्य फीस
		वर्ग मीटर	वर्ग मीटर	रुपये में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	भवन जो पूर्णरूपेण निवास के लिये आशयित हो	0	75	500
		76	125	785
		126	200	1500
		201	300	2250
		301	400	3000
		401	600	5000
		601	750	6250
		751	1000	8750
		1001	1250	12500
		1251	1500	17500
		1501	2000	25000
		2001	2500	37500
			2500 से अधिक	37500 के अतिरिक्त प्रति वर्ग मीटर या उसके भाग के लिए प्रति वर्ग मीटर 15 रु. अतिरिक्त शुल्क देय होगी.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(2)	भवन जो दुकान, भंडार घर, कारखाना या व्यापार या कारबार चलाने अथवा किसी अन्य वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रयोजन के लिये उपयोग किये जाने हेतु आशयित हो.	मद क्र. 1 में विनिर्दिष्ट फीस के साथ फीस की ऐसी रकम का 50% अतिरिक्त प्रभार सिवाय इसके कि 2500 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र के लिये प्रभार्य फीस, प्रति वर्ग मीटर 15 रु. अतिरिक्त शुल्क देय होगी.		
(3)	भवन जो कारखाने में प्रशासनिक खंड के रूप में उपयोग किये जाने के लिये आशयित हो.	मद क्र. 1 में यथाविहित फीस.		
(4)	भवन जो दुकान सह-निवास के प्रयोजन के लिये उपयोग किये जाने के लिये आशयित हो.	मद क्र. 1 में विनिर्दिष्ट फीस के साथ फीस की ऐसी रकम का 50% अतिरिक्त प्रभार.		
(5)	भवन जो सिनेमा थियेटर के रूप में उपयोग किये जाने के लिये आशयित हो.	800 तक की बैठक क्षमता के लिये रु. 15,000.00 800 से अधिक बैठक क्षमता के लिये रु. 25,000.00		
(6)	भवन जो किसी सामाजिक, धमार्थ, सांस्कृतिक, शैक्षणिक प्रयोजनों, धर्मशाला तथा इसी प्रकार के समरूप भवन के लिए तथा किसी अन्य प्रयोजन जिसके लिए विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध न हो, उपयोग किये जाने के लिये आशयित हो.	मद क्र. 4 में विनिर्दिष्ट फीस का 50%		
(7)	विद्यमान निर्मित क्षेत्र में परिवर्धन का परिवर्तन अथवा बाह्य परिवर्धन या परिवर्तन जिससे निर्मित क्षेत्र में वृद्धि नहीं होती हो, जैसे आंगन, चहारदिवारी, उत्थापन (ऊंचाई) या छत में परिवर्तन, जैसे ए.सी. शीट में या समतल सतह में टाइल्स लगाना, अतिरिक्त मार्ग खोलना या बंद करना, जो नियम 14 के उप-नियम (1) के प्रावधानों के द्वारा आच्छादित न हो.	मद क्र. 1, 3 और 6 में उल्लेखित भवन के प्रत्येक मामले में रु. 100.00 एवं मद क्र. 2, 4 और 5 में उल्लेखित भवन के प्रत्येक मामले में रु. 500.00.		
(8)	प्रस्तावित रेखांक में परिवर्धन या परिवर्तन के मामले में.	5% तक कुछ नहीं. 5% से अधिक तथा 10% तक रु. 125.00 10% से अधिक के लिए नियमानुसार नया आवेदन आवश्यक होगा.		
(9)	भवन निर्माण अनुज्ञा का पुन: विधिमान्यकरण	संबंधित भवन के संबंध में मूलत: प्रभारित की गई फीस की रकम का 10%."		

2. नियम 21 के उप-नियम (3) के खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(ग) बहुमंजिले भवन हेतु अनुज्ञा के लिये.

मद क्र. (1)	निर्माण का प्रकार (2)	प्रभार्य फीस रुपये में (3)
(1)	भवन जो पूर्णरूपेण निवास के लिये आशयित हो	रुपये 25.00 प्रति वर्गमीटर तल क्षेत्र के लिये

(1)	(2)	(3)
(2)	भवन जो दुकान, भंडार घर, कारखाना के रूप में या व्यापार या कारबार चलाने अथवा किसी अन्य वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रयोजन के लिये उपयोग किये जाने हेतु आशयित हो.	मद क्र. 1 में विहित फीस तथा फीस की रकम का 100% अतिरिक्त प्रभार.
(3)	भवन जो किसी कारखानें में प्रशासनिक खंड के रूप में उपयोग किये जाने के लिये आशयित हो.	मद क्र. 1 में यथाविहित फीस.
(4)	भवन जो दुकान-सह-निवास के प्रयोजन के लिये उपयोग किये जाने हेतु आशयित हो.	मद क्र. 1 में विनिर्दिष्ट फीस के साथ फीस की ऐसी रकम का 50% अतिरिक्त प्रभार.
(5)	भवन जो किसी सामाजिक, धमार्थ, सांस्कृतिक, शैक्षणिक प्रयोजनों सहित चिकित्सालय, विद्यालय, क्लब, धर्मशाला तथा इसी प्रकार के समरूप भवन के लिए तथा किसी अन्य प्रयोजनों जिसके लिये विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध न हो, उपयोग किये जाने के लिए आशयित हो.	मद क्र. 1 में विनिर्दिष्ट फीस का 50%."

3. नियम 23 में, शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" प्रतिस्थापित किये जाएं.

No. F 7-18/32/2010.—The following draft of amendment in the Chhattisgarh Bhumi Vikas Rules, 1984 which the State Government proposed to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), is hereby published as per required by sub-section (1) of Section 85 of the said Adhiniyam for the information of all persons likely to be effected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person before the specified period in office hours, by the office of Principal Secretary, Department of Housing and Environment, Government of Chhattisgarh, (Room No. 308), Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,—

1. For clause (b) of sub-rule (3) of Rule 21, the following clauses shall be substituted, namely :—

"(b) For permission for building other than high rise buildings :—

Item No. (1)	Type of Construction (2)	Build up Area Square meter (3)	Square meter (4)	Fees Chargeable In Rupees (5)
(1)	A building intended to be exclusively for residence.	0	75	500
		76	125	875
		126	200	1500
		201	300	2250
		301	400	3000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		401	600	5000
		601	750	6250
		751	1000	8750
		1001	1250	12500
		1251	1500	17500
		1501	2000	25000
		2001	2500	37500
			Above 2500	37500 and 15 per square meter for additional fees.
2.	A building intended to be used as shop, store house, factory or for currying on trade or business or any other commercial or industrial purpose.	Fees specified in item No. 1 together with an additional charge of 50% or such amount of fees except that for a built up area above 2500 square meters the fees chargeable Rs. 15 per square meter for additional fees.		
3.	A building intended to be used as administrative block in a factory.	Fees as prescribed in item No. 1		
4.	A building intended to be used for shop-cum-residence purposes.	Fees specified in item No. 1 together with an additional charge of 50% such amount of fees.		
5.	A building intended to be used as Cinema theatre.	Up-to 800 seating capacity Rs. 15,000.00 Above 800 seating capacity Rs. 25,000.00		
6.	A building intended to be used for any social charitable culture, educational proposes, Dharmshala and similar types of building and for any other purpose not specifically provided for.	50% of fees specified in item.No. 4.		
7.	Addition or alteration with built up area or external addition or alteration which does not add to the built up area such as Court yard compound N-4 wall, alteration in elevation or roofing such tiles to A. C. Sheet or flat surface, additional opening or closing not covered by provision to sub-rule (1) of Rule 14.	Rs. 100.00 in each case of building mentioned in items 1, 3 and 6 Rs. 500.00 in each case of building mentioned in items Nos. 2, 4 and 5.		
8.	In case of addition alteration in the proposed plan.	Upto 5% Nil. above 5% Rs. 125.00 Fresh 10% Above 10% application according to the rule shall be necessary.		
9.	Revaluation of the building permission.	10% of the amount of fees charged originally in respect of the building concerned."		

2. For clause (c) of sub-rule (3) of Rule 21, the following clause shall be substituted, namely :—

"(c) For permission for, high-rise building :—

Item No. (1)	Type of Construction (2)	Fees chargeable in rupees (3)
(1)	A building intended to be exclusively for residence.	Rs. 25.00 per Square Meter Floor area space
(2)	A building intended to be used as shop, store, house, factory or for carrying on trade or business or any other commercial or industrial purpose.	Fees prescribed in item No. 1 with additional charges of 100% of amount of fees.
(3)	A building intended to b used as administrative block in a factory.	Fees as prescribe in item No. 1
(4)	A building intended to be used for shop-cum-residence purposes.	Fees specified in item No. 1 together with additional charge of 50% of such amount of fees.
(5)	A building intended to be used for any special, charitable, cultural, educational purposes including hospital, school, club, Dharmshala and similar types of building and for any other purpose not specifically provided for.	50% of fees specified for item No. 1."

3. In Rule 23, for the word "three years" the words "One year" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2010

क्रमांक 2703/परि.वि./2010.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 67 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1682/तक.-264/टीसी/2008, दिनांक 28 जुलाई, 2008 को अधिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकार तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को भाड़ा निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित और निर्देश जारी करती है, जो नगर सेवाओं से भिन्न प्रक्रम वाहनों के लिए छत्तीसगढ़ राजपत्र में इसके प्रकाशन से प्रभावशील होगा :—

निर्देश

1. प्रक्रम वाहनों द्वारा प्रभार्य भाड़ा होगा :—

(1) सामान्य प्रक्रम वाहन के मामले में — पांच किलोमीटर की दूरी तक तीन रुपये प्रति यात्री एवं तत्पश्चात् प्रति किलोमीटर या उसके भाग के लिये 70 पैसे प्रति यात्री.

2. निर्देश 1 के अधीन, संगणित भाड़ा में वृद्धि की जायेगी :—

(क)	साधारण रात्रिकालीन बस सेवा के लिए	सामान्य प्रक्रम वाहनों के किराये से दस प्रतिशत अधिक
(ख)	साधारण बस एक्सप्रेस सेवा के लिए	सामान्य प्रक्रम वाहनों के किराये से दस प्रतिशत अधिक
(ग)	एक्सप्रेस रात्रिकालीन सेवा के लिए (साधारण बस).	सामान्य प्रक्रम वाहनों के किराये से पन्द्रह प्रतिशत अधिक
(घ)	डीलक्स, अर्द्ध डीलक्स शयन कोच के लिए	सामान्य प्रक्रम वाहनों के किराये से बीस प्रतिशत अधिक
(ङ)	डीलक्स शयन कोच वातानुकूलित तथा वातानुकूलन रहित से भिन्न डीलक्स एक्सप्रेस अथवा/तथा रात्रिकालीन सेवा के लिए.	उपरोक्त (घ) में वर्णित किराये के अतिरिक्त, सामान्य प्रक्रम वाहनों के किराये से पांच प्रतिशत अधिक.
(च)	डीलक्स शयन कोच वातानुकूलन रहित के लिए.	सामान्य प्रक्रम वाहनों के किराये से पच्चीस प्रतिशत अधिक
(छ)	डीलक्स शयन कोच वातानुकूलित के लिए	सामान्य प्रक्रम वाहनों के किराये से तीस प्रतिशत अधिक

टीप :—

1. उपरोक्तानुसार संगणित किराए की कुल राशि में पचास पैसे तथा उससे अधिक की किसी राशि को, अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा और पचास पैसे से कम की किसी राशि को छोड़ दिया जाएगा.

2. रात्रिकालीन बस सेवा से अभिप्रेत है, ऐसी सेवा जो साधारणतः सूर्यास्त से सूर्योदय के मध्य संचालित होती है और जिसकी एक ओर की दूरी 200 कि.मी. से अधिक होती है.

3. जहां परमिट में स्पष्ट रूप से एक्सप्रेस सेवा के रूप में अनुमति प्रदान की गई है तो पंजीयन प्रमाणपत्र या परमिट में इसकी प्रविष्टि की जायेगी और तदनुसार किराया सूची जारी की जाएगी.

4. परमिट में इस प्रकार अनुज्ञात एक्सप्रेस बस सेवा का स्टापेज 50 कि.मी. या अधिक होना चाहिए.

उपरोक्त निर्देश, नीचे अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :—

अनुसूची

(1) निम्नलिखित व्यक्ति—

क. नेत्रहीन व्यक्ति.

ख. मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति.

ग. विकलांग व्यक्ति जो दोनों पैरों से चलने के असमर्थ हों.

घ. वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र अस्सी वर्ष या उससे अधिक हो, और

ङ. एचआईव्ही/एड्स से पीड़ित मरीज जो उपचार के लिए, निवास स्थान से उपचार के स्थान तक आने या जाने के लिए यात्रा करे, उन्हें किराये में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी, अर्थात् कोई किराया नहीं लिया जायेगा.

(2) एचआईव्ही/एड्स से पीड़ित मरीज जिसके साथ एक सहायक व्यक्ति भी होगा जो उपचार के लिए निवास स्थान से उपचार के स्थान तक तथा आने या जाने के लिए यात्रा करेंगे उन्हें यात्री किराये में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी, अर्थात् कोई किराया नहीं लिया जायेगा.

(3) (क) स. क्र.-01, में उल्लिखित दोनों पैरों से विकलांग व्यक्ति के लिए, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों अथवा शासकीय चिकित्सालय के अधिकारियों से जारी किये गये फोटोयुक्त प्रमाण-पत्र,

(ख) एचआईव्ही/एड्स से पीड़ित मरीज के लिए, जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति, रायपुर, एआरटी केन्द्र या कैंसर अस्पताल के अधिकारियों से जारी किये गये फोटोयुक्त प्रमाण-पत्र स्वीकार्य होंगे तथा ऐसे प्रमाणपत्र विकलांग व्यक्ति द्वारा यात्रा के दौरान यात्री बस के चालक/परिचालक को प्रस्तुत किये जाएंगे.

(4) स. क्र. 01 से 03 में उल्लिखित किसी भी शर्त के उल्लंघन पर अनुज्ञप्तिधारी (परमिट होल्डर) के विरुद्ध अधिनियम की धारा 86 के अधीन एवं परिचालक के विरुद्ध अधिनियम की धारा 34 के अधीन कार्यवाही की जाएगी.

No. 2703/परि.वि./2010.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 67 of Motor Vehicle Act,1988 (No 59 of 1988) and in supersession of this Department Notification No. 1682/Tech-264/TC/2008, dated 28th July, 2008 the State Government hereby issues the following further directions to State Transport Authority and Regional Transport Authority regarding fixation of the fares with effect from the publication in the Official Gazette of Chhattisgarh for stage carriages other than city services :—

DIRECTION

1. Fare chargeable by the Stage Carriages shall be—

(1)	In the case of Ordinary Stage Carriage	Rupees three per passengers up to a distance of five Kilometers and thereafter 70 paise per passenger per Kilometers or part thereof.

2. The fare calculated under direction 1 shall be incresed—

(a)	For Ordinary Night Bus Service	Ten percent excess of the fare of Ordinary State Carriages.
(b)	For Ordinary Bus Express Service	Ten percent excess of the fare of Ordinary Stage Carriages.
(c)	For express Night Srevice (Ordinary Bus)	Fifteen percent excess of the fare of Ordinary Stage Carriages.
(d)	For Deluxe, Semi-Deluxe Sleeper Coach.	Twenty percent excess of the fare of Ordinary Stage Carriages.
(e)	For Deluxe Express or/and Night Service Other than Deluxe Sleeper Caoch A/C and Non A/C.	Five percent excess of the fare of Ordinary Stage Carriages in addition of fare mentioned in (d) above.
(f)	For Deluxe Sleeper Coach Non A/C	Twenty five percent excess of the fare of Ordinary Stage Carriages.
(g)	For Deluxe Sleeper Coach with A/C	Thirty percent excess of the fare of Ordinary Stage Carriages.

Note :—

1. The total amount of fare calculated as per above, any amount of fifty paise and above shall be reounded off to the next higher rupee, and any amount less than fifty paise shall be ignored.

2. Night Bus Service means a service Ordinarily running during sunset and sunrise and which is having a distance of more than 200 Kms one way.

3. Where the permit expressly allow the service as express service, it shall be entered in the Registration Certificate an permit and fare table shall be issued accordingly.

4. Express Bus Service allowed as such in the permit must have stages of 50 Kms or more.

The above direction shall be subject to the conditions mentioned in the Schedule below :—

SCHEDULE

(1) The following persons—

a. Blind person,

b. Mentally retarded person,

c. Handicapped, who are not capable to walk on both the legs,

d. Senior Citizens whose age is eighty years or more and

e. Patient suffering from HIV/AIDS travelling for the treatment from the place of residence to the place of treatment or vice-versa, shall be exempted 100% from the fare, i.e. no fare shall be charged.

(2) Patient suffering from HIV/AIDS travelling for the treatment from the place of residence to the place of treatment or vice-versa, alongwith one attendant, shall be exempted 100% from the fare, i.e. no fare shall be charged.

(3) (a) For handicapped persons with both legs mentioned in S. No. 01, a certificate with photograph from the officers of Panchayat and Social Welfare Department or officers of Government Hospital,

(b) Patient suffering from HIV/AIDS a certificate, with photograph from the Chief Medical Officers of the district or Officers of the C. G. State Aids Control Society, Raipur, ART Centers, or Cancer Hospital.

Shall be acceptable and such certificate shall be presented by the handicapped person during the journey to the conductor/driver of the passenger bus.

(4) The breach of any condition mentioned in S. No. 01 to 03 shall be actionable under section 86 of the Act, against the permit holder and under section 34 of the Act against the conductor.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. मराव्ही, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 23 सितम्बर 2010

क्रमांक/1930/अ.भू-अ.प्र./05/अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	पाऊवारा प. ह. नं. 31/44	0.34	कार्यपालन अभियंता, तान्दुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	जंजगिरी डायवर्सन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 27 सितम्बर 2010

क्र. अ. भू. अ. प्र. क्र./1141/अ-82/2009-2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौ. लोहारा	माटरी प. ह. नं. 33/43	0.328	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोंहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	जलाशय निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 27 सितम्बर 2010

क्र. अ. भू. अ. प्र. क्र./1145/अ-82/2009-2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौण्डी-लोहारा	पीपरखार प. ह. नं. 05/08	3.78	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, क्र.-1, बालोद.	सड़क निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 30 सितम्बर 2010

क्रमांक/9406/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	पठानढोड़गी प. ह. नं. 24	0.251	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	घुमरिया नाला बैराज के दायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु पूरक प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 30 सितम्बर 2010

क्रमांक/9407/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	थैलीटोला प. ह. नं. 24	0.716	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	घुमरिया नाला बैराज के दायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु पूरक प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 30 सितम्बर 2010

क्रमांक/9408/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	करमरी प. ह. नं. 38	0.081	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	रतनभाट, करमरी मार्ग पर मोतीनाला पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 30 सितम्बर 2010

क्रमांक/9409/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	रतनभाट प. ह. नं. 37	0.097	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	रतनभाट, करमरी मार्ग पर, मोतीनाला पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 30 सितम्बर 2010

क्रमांक/9440/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	महरूम प. ह. नं. 67	1.869	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोंहदीपाट परियोजना, जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	मटियामोती नाला डायवर्सन योजना की बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 30 सितम्बर 2010

क्रमांक/9441/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	रतनभाट प. ह. नं. 67	1.770	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोंहदीपाट परियोजना, जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	मटियामोती नाला डायवर्सन योजना की बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2010

क्रमांक 20/अ-82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	धनौली	3.203	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	पकरीकछार जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2010

क्रमांक 21/अ-82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रा	देवरीकला	0.081	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	घाघरा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 24 सितम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 35/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	मौहापाली प. ह. नं. 20	0.287	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), रायगढ़.	लोईंग - मौहापाली जामगांव मार्ग निर्माण में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 20 अगस्त 2010

क्रमांक/22/अ.वि.अ./भू-अर्जन/4 अ/82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानें (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	पिथौरा	बिजेपुर प. ह. नं. 46	2.67	कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 1, पेंशन बाड़ा, रायपुर.	प्रस्तावित जोक पुल एवं सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निहारिका बारिक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव/उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2010

क्र./क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./21/अ-82/वर्ष 09-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खांने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उप धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	बेमता प. ह. नं. 01	328/2	0.121	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प., डिसनेट सं. क्र. 3, तिल्दा, जिला-रायपुर.	भूमिया वितरक नहर के बेमता टेल माइनर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			328/3	0.182		
			327/1	0.061		
		योग	**03**	**0.364**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2010

क्रमांक क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2/अ/82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उप धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में,उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	गरियाबन्द	झिथरीडुमर	99/1	0.08	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, गरियाबन्द.	पैरी धुम्मर व्यपवर्तन योजना.
			101	0.02		
			181/1	0.06		
			181/2	0.06		
			188	0.08		
			190	0.02		
			191	0.10		
			195	0.05		
			196	0.03		
			197	0.05		
			198	0.22		
			230	0.04		
			215/640	0.05		
		योग	13	0.86		

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2010

क्रमांक क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/3/अ/82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उप धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	गरियाबन्द	कोसमबुड़ा	278	0.01	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, गरियाबन्द.	पैरी धुम्मर व्यपवर्तन योजना.
			279/1	0.06		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			279/2	0.04		
			281	0.07		
			282	0.01		
			283/1	0.04		
			283/2	0.04		
			293	0.14		
			294	0.12		
			306	0.01		
			307	0.04		
			309	0.03		
			382	0.17		
			528/2	0.01		
			528/3	0.03		
			528/4	0.07		
			544	0.30		
			571	0.01		
			572	0.04		
			573	0.01		
			574	0.08		
			575	0.07		
			581/1	0.01		
			581/2	0.02		
			581/3	0.03		
			581/4	0.01		
			581/5	0.02		
			582	0.08		
			640	0.01		
		योग	29	1.58		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 22 सितम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-केवाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.089 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	105/1	0.089
योग		0.089

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केवाली खड़गांव मार्ग के कि.मी. 2/4 पर सेतु के पहुंच निर्माण मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लांन) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 23 सितम्बर 2010

क्रमांक/1933/अ.भू-अ.प्र./02/अ-82/वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-दुर्ग
- (ग) नगर/ग्राम-कसारीडीह, प. ह. नं. 18/25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.481 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	693	0.182
	688/2, 3	0.141
	689	0.081
	690	0.077
योग	4	0.481

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ग्राम पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2010

क्रमांक 2/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-पंडरीपानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.97 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	153	0.47
	150	0.38
	148	0.20
	468	0.05
	91	0.02
	264	0.41
	92	0.06
	93/1	0.46
	286/2	0.17
	469	0.35
	465	0.50
	464	0.60
	463	0.28
	471	0.32
	254	0.28
	287	0.42
	128	0.76
	149	0.15
	89	0.30
	85/1	0.18
	147/1	0.07
	124	0.22
	69	0.24
	88	0.08
योग	24	6.97

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जोगीडोंगरी जलाशय की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2010

प्र. क्रमांक 17/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-करगीकला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-32.22 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
94/4	0.30
94/6	0.16
113/1	0.15
107/2	0.56
254	0.25
270/2	0.26
270/1	0.58
91/1	0.57
109/1	0.82
194/4	0.31

(1)	(2)
290/3	0.08
114/1	1.05
110	0.08
251/2	0.28
313/3	0.38
109/2	0.29
252	0.23
309/3	0.10
108/2	0.28
256/2	0.24
294	0.17
256/4	0.32
296/2	0.93
268/2	0.03
287/2	0.08
101	0.06
332/5	0.12
93/2	0.45
88/5	1.54
266/2	0.38
266/1	0.40
94/1	0.17
256/1	0.57
256/6	0.22
113/4	0.35
94/5	0.33
256/5	0.42
88/7	0.29
194/1	0.35
253	0.37
78	0.12
330/2	0.15
332/3	0.05
272	0.46
298/2	0.10
309/2	0.12
299/3	0.44
106	1.10
288	0.36
112/1	0.45
324, 325	0.15
114/3	0.38
115/1	0.40
114/4	0.30
115/2	0.45
114/7	0.20
297	0.20
298/1	0.10
299/1	0.06
299/2	0.32
313/1	0.83
328, 329	0.15
194/3	0.37
88/4	0.36
388, 390, 391	0.08
88/2	0.29
88/3	0.11
389/2	0.90
114/6	0.26
113/3	0.63
88/1	0.84
92	0.09
105/2	0.45
330/1	0.11
332/4	0.14
332/2	0.08
93/1	0.77
105/1	0.22
108/1	0.24
268/1	0.03
311/3	0.03
314	0.31
315	0.15
116	0.60
194/5	0.11
88/6	0.06
113/3	0.26
125	0.11
334	0.26
114/5	0.26
107/1	0.25
194/2	0.33
290/2	0.04
296/1	0.06
113/5	0.38
113/6	0.37
266/1	0.20
266/3	0.46
114/2	0.10
255/5	0.40

	(1)	(2)
	191	0.10
योग		32.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कुम्हारी व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2010

क्रमांक 25/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-बारीउमराव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.61 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	84/7	0.17
	137/2	0.05
	112/1	0.32
	85	0.26
	84/10	0.17
	84/5	0.32
	84/8	0.26
	5	0.21
	82	0.03
	83	0.15
	107	0.09
	108, 109	0.11
	111	0.02
	113	0.01
	84/3	0.96
	114/1	0.10
	115/1	0.01
	138/2	0.03
	138/1 ग	0.34
योग	19	3.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घाघरा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2010

प्र. क्रमांक 18/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-पीपरडोल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-23.72 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
27/2	0.27
33/1	1.83
34	0.11
183	0.82
199	0.58
645	0.09
38/2	0.17
190/1	0.22

(1)	(2)
247/2	0.09
640/1	0.16
251/5	0.26
190/2	0.08
190/4	0.08
245/2	0.10
43	0.02
245/1	0.18
251/6	0.15
694/1	0.35
674/2	0.02
166	0.21
27/3	0.13
28	0.08
471/1	0.23
243/1	0.10
471/2	0.14
29/1	0.41
195/1	0.10
42	0.08
44/1	0.14
196	0.04
246/1	0.08
247/1	0.26
251/3	0.21
641	0.21
182/1	0.16
182/2	0.26
643	0.13
671/2	0.62
679/1	0.42
164, 165	0.20
797/3	0.35
40/1	0.23
783/2	0.30
693	0.12
785	0.65
205	0.55
157	0.22
161	0.29
638	0.20
41/2	0.10
194/2	0.25
475/2	0.12
203/1	0.29
190/6	0.10
251/8	0.07
158	0.07
159/1	0.02
171/1	0.13
172/1	0.20
672/1, 674	0.18
173/2	0.17
200	0.48
163/1	0.26
27/1	0.38
677/1	0.51
783/1	0.71
797/1	0.23
179	0.26
180	0.07
191/1	0.28
192	0.75
203/2	0.29
194/4	0.05
204	0.17
234/1	0.90
236/1	0.03
244/1	0.13
637	0.10
640/2	0.14
642	0.28
791	0.72
792/3	0.22
684	0.20
797/2	0.22
798	1.38
245/5	0.10
251/7	0.13
694/5	0.10
633/22	0.08
172/2	0.15
योग 31	23.72

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कुम्हारी व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 19 अगस्त 2010

क्रमांक/11154/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया (छ. ग.)
- (ख) तहसील-खड़गवां
- (ग) नगर/ग्राम-नेवरी, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.04 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
811/1	0.06
811/4	0.06
811/3	0.06
327	0.25
328	0.06
455	0.08
450	0.16
242	0.05
448	0.04
263	0.22
388	0.06
447	0.15
436	0.15
432	0.36
302	0.02
306	0.02
309	0.05
329	0.03
301	0.07
305	0.06
307	0.05
303	0.05
304	0.09
239	0.08
324/2	0.01
324/1	0.02
331	0.25
299	0.02
300	0.02
308	0.06
330	0.04
262	0.02
390	0.05
398	0.05
84	0.32
93	0.16
214	0.10
321	0.09
319	0.32
241	0.06
269	0.20
37	0.40
42	0.08
55	0.20
87/1	0.03
87/2	0.27
86	0.09
89	0.30
30	0.03
11	0.46
9	0.11
योग 51	6.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कांसाबहरा से भौता मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खड़गवां-चिरमिरी के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 19 अगस्त 2010

क्रमांक/11154/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया (छ. गं.)
- (ख) तहसील-खड़गवां
- (ग) नगर/ग्राम-कोड़ा, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.26 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1183	0.55
1187	0.18
1193	0.37
1204	0.90
1208	0.08
1209	0.22
1212	0.40
1192	0.56
योग 8	3.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कांसाबहरा से भौता मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खडगवां-चिरमिरी के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋतु सैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 15 सितम्बर 2010

क्र. 977 (A)/वाचक-1/भू-अर्जन/10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सीतापुर
- (ग) नगर/ग्राम-कुनमेरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.099 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2250	0.833
1602/4	0.266
योग 2	1.099

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ढोढागांव कुनमेरा मार्ग पर मैनी सेतु पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 15 सितम्बर 2010

क्र. 975 (A)/वाचक-1/भू-अर्जन/10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सीतापुर
- (ग) नगर/ग्राम-विशुनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.429 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
619	0.075

	(1)	(2)
	620/1	0.081
	621	0.153
	267/2	0.091
	268	0.029
योग	4	0.429

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-विशुनपुर-तेलाईधार मार्ग पर माण्ड सेतु पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 22 सितम्बर 2010

क्रमांक/9061/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-आलीखुंटा, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.47 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	42	0.47
योग	1	0.47

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जामरी व्यपवर्तन क्रमांक-2 के दायीं तट नहर नाली निर्माण हेतु. (अनुपूरक प्रकरण)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 सितम्बर 2010

क्रमांक/9062/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पलान्दुर, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.60 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	512/2	1.60
योग	1	1.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेलगांव, डारागांव, पलान्दुर, केशली मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारतीदासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजनांदगांव, दिनांक 17 अगस्त 2010

क्रमांक/7665/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-डोंगरगांव

(ग) नगर/ग्राम-गिरगांव, प. ह. नं. 09

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.497 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	289/1	0.032
	283/17	0.364
	286/1	0.101
योग	3	0.497

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सूखानाला बैराज के मुख्य नहर निर्माण हेतु. (अनुपूरक प्रकरण)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 सितम्बर 2010

क्रमांक/9216/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-डोंगरगढ़

(ग) नगर/ग्राम-मेढ़ा, प. ह. नं. 30

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.32 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1/3	0.12
1/9	0.11
1/10	0.08
1/5	0.17
1/8	0.13
1/6	0.22
1/7	0.13
22/1	0.29
22/3	0.25
22/4	0.11
22/6	0.23
22/11	0.11
124/2	0.10
124/3	0.04
123	0.25
131	0.35
132	0.24
120/2	0.27
133/1	0.19
119	0.64
103	0.05
105	0.05
117/1	0.22
117/2	0.07
117/3	0.13
116/1	0.26
109/1	0.03
114/1	0.18
114/3	0.08
114/2	0.03
116/2	0.16
113/1	0.71
85/6	0.34
80/2	0.09
80/1	0.90

(1)	(2)
81/1	0.03
81/2	0.12
80/5+6	0.50
78/3	0.16
78/1	0.33
79	0.21
14	0.64
योग 42	9.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-पिनकापार डायवर्सन योजना के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 सितम्बर 2010

क्रमांक/9217/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-खलारी, प. ह. नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.23 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
235	0.03
375/1	0.28
376	0.30
377	0.65
379	0.30
380	0.30
381/2	0.20
382	0.20
385	0.18
386	0.09
367/3	0.40
367/1	0.22
355/4	0.12
355/1	0.18
356	0.32
344	0.20
343	0.21
342	0.04
323	0.09
316	0.38
314/1	0.41
384	0.18
383	0.03
375/2	0.02
300/3	0.01
300/2	0.15
300/1	0.17
299/4	0.14
299/1	0.18
298	0.18
297	0.30
296	0.33
295/2	0.22
295/1	0.16
284	1.03
281	0.20
279/3	0.02
355/2	0.01
278/1	0.35
272/1	0.35
266/1+3+4	0.35
315	0.45
264/1+3	0.99
254	0.71
286	0.33
322	0.27
योग 46	12.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-पिनकापार डायवर्सन योजना के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 सितम्बर 2010

क्रमांक/9218/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मेरेगांव, प. ह. नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-18.08 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
54	0.50
55/1	0.22
56	0.20
39	0.25
52	0.09
128	1.09
53/10	0.07
53/1	0.25
45/2	0.16
57/1	0.15
57/4	0.62
122/2	0.13
57/5	0.50
122/1	0.31
57/2	0.05
57/6	0.18
122/3	0.12
45/2	0.62
132	0.70
58/3	0.03
58/2	0.57
59	0.75
66/1	0.14
66/2	0.12
67	0.14
68	0.72
46/6	0.07
46/5	0.04
48/3	0.01
118/1	0.02
40/2	0.83
38	0.02
62/2	0.20
121/5	0.15
62/4	0.18
121/4	0.16
140/1	0.29
62/1	0.28
127	0.90
139/4	0.29
117	0.03
153	0.66
141/1+2	0.46
140/2	0.18
140/4	0.17
121/1	0.19
150/1	0.28
150/8	0.17
188/2	0.03
41	0.01
150/6	0.24
188/4	0.03
150/7	0.17
150/5	0.09
188/3	0.29
151	0.22
154	0.94
62/3	0.21
181/1	0.35
181/2	0.15
185/2	0.20
185/1	0.17
192/1	0.29
194/5	0.23
139/5	0.20
योग 65	18.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-पिनकापार डायवर्सन योजना के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 सितम्बर 2010

क्रमांक/9219/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पिपरिया, प. ह. नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.54 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
602	0.10
603/1	0.40
607	0.04
योग	0.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-पिनकापार डायवर्सन योजना के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 सितम्बर 2010

क्रमांक/9220/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पिनकापार, प. ह. नं. 30
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.98 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
35/1	1.33
36	0.06
35/2	0.15
40/6	1.00
40/3	0.76
40/2	0.12
40/4	0.21
40/5	0.32
41	0.19
240/1	0.33
45/1	0.02
45/4	0.04
45/2+3	0.10
46/1	0.48
251	0.45
252	0.18
316	0.15
250	0.25
245	0.04
246	0.55
247/1	0.10
247/2	0.06
266/6	0.21
266/11	0.16
266/12	0.29
266/10	0.04
269	0.58
270/4	0.21
270/5	0.07
270/1	0.17
314/1	0.31
314/2	0.16
315	0.22
317	0.28
318/1	0.36
318/3	0.01

	(1)	(2)
	318/4	0.30
	318/9	0.12
	318/5	0.06
	319	1.54
योग	40	11.98

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-पिनकापार डायवर्सन योजना के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 सितम्बर 2010

क्रमांक/9221/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-जामरी, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.30 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	788/1	0.05
	788/2	0.17
	787/2	0.08
योग		0.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-जामरी व्यपवर्तन क्रमांक 02 बायीं तट नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड
सेक्टर-3, सी/12, देवेन्द्र नगर, रायपुर-492001

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2010

क्रमांक/वि.शा./799/2010.—आम सूचना के जरिए हलाई मेमन जमात नर्मदापारा गुढ़ियारी रायपुर की वक्फ सम्पत्ति के संबंध में हितग्राही पक्षकारों सहित सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हलाई मेमन जमात कमेटी नर्मदापारा गुढ़ियारी रायपुर द्वारा संस्था ने पूर्व में क्रय की गई सम्पत्ति बैजनाथपारा स्थित खुला प्लाट भूमि म्यु. नं. खसरा नं. 404 से 408/11 रकबा 2200 वर्गफुट को श्री मोहम्मद असलम वल्द स्व. अहमद नयापारा रायपुर से विक्रय हेतु इकरारनामा किया गया है जिसे संस्था विक्रय करना चाहती है. जिसकी प्राप्त आय को वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 51 के अन्तर्गत वक्फ सम्पत्ति के उचित विकास एवं जनकल्याण में, वक्फ सम्पत्तियों की आय बढ़ाने लगाया जाएगा जिसके लिये बोर्ड से अनुमति चाही गई है.

अत: इस संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड सी-12, सेक्टर-3, देवेन्द्र नगर रायपुर को दिनांक 04-10-2010 तक अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत करें.

यह सूचना आज दिनांक 30-08-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

एस. ए. फारूकी,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

कार्यालय, उप-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कोरबा (छ. ग.)

कोरबा, दिनांक 12 अक्टूबर 2010

क्रमांक/955/न.ग्रा.नि./शोधकक्ष/2010.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कटघोरा निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये हैं और उनकी एक प्रति तहसील कार्यालय कटघोरा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत कटघोरा एवं उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कोरबा में तथा प्रदर्शनी स्थल नगर पंचायत कटघोरा में दिनांक 11-10-2010 से कार्यालयीन समय के दौरान कार्याकारी दिवसों में निरीक्षण के लिये उपलब्ध है. कटघोरा निवेश क्षेत्र की सीमा निम्न अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची
कटघोरा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	-	ग्राम महेशपुर, कटघोरा तथा जुराली के उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में	-	ग्राम जुराली तथा कसानियां के पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में	-	ग्राम कसानियां, कटघोरा तथा जेंजरा के दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में	-	ग्राम जेंजरा, हुकरा, नवागांव तथा महेशपुर के पूर्वी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश कोरबा को "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर भेजा जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश कोरबा द्वारा विचार किया जावेगा.

No./955/न.ग्रा.नि./शोधकक्ष/2010.—Notice is hereby given that the Existing Land use map and register of Katghora Planning area is prepared under sub section (1) of section 15 of C. G. Nagar tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy for inspection from dated 11-10-2010 during the office hours in the office of the Chief municipal officer, Nagar Panchayat Katghora, Tehsil office Katghora & Office of the Deputy Director, Town & Country planning Korba C. G. and exhibition venue Nagar Panchayat Katghora. The limits of the Katghora planning area is defined in the schedule given below.

SCHEDULE
Limits of Planning area Katghora

North	:	Village Maheshpur, Katghora & Jorali and up to Northern limits of Village Jorali.
West	:	Village Jorali & Kashaniya and up to Western limit of Village Kashaniya.
South	:	Village Kashaniya, Katghora & Jenjra and up to Southern limit of Village Jenjra.
East	:	Village Jenjra, Hokra, Nawagaon & Maheshpur and up to Eastern limits of Village Maheshpur.

Any objection or suggestion regarding this Existing Land use map so prepared, it should be given in writing to Deputy Director, Town & Country Planning Korba, within a period of thirty days from the date of publication of notice in "C. G. Gazette".

Any objection or suggestion which may be received from any person with repsect to the said existing land use map before the period specified above will be considered by Deputy Director Town & Country Planning Korba.

विनित नायर,
उप संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2010

क्रमांक 285/दो-2-7/2002.—श्री टी. के. झा, तत्कालीन द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दुर्ग वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग को उनके आवेदन पत्र दिनांक 13-08-2010 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2005 से 31-10-2007 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2010

क्रमांक 286/दो-2-7/2002.—श्री टी. के. झा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरिया (बैकुण्ठपुर) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 13-08-2010 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2007 से 31-10-2009 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.